128

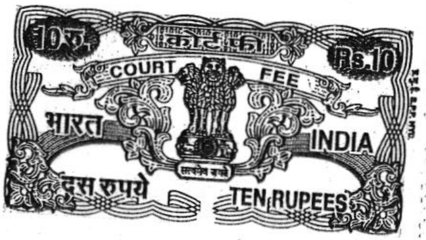

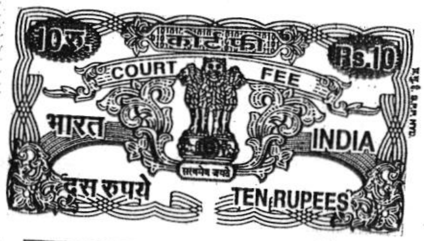

समक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय म0प्र0 राजस्व मण्डल कैम्प भोपाल

प्र. क्र.निगरानी– /पीबीआर/16

P 4023-PBR-16

सैयद महफूज आ0 अब्दुल हमीद
निवासी सईदिया स्कुल के पास इतवारा
तहसील हुजूर जिला भोपाल म0प्र0

......आवेदक

विरूद्ध

30/11/16

1. म0प्र0 शासन द्वारा –तहसीलदार तहसील हुजूर
   जिला भोपाल म0प्र0
2. नर्बदा प्रसाद आ0 स्व0 श्री जुगलकिशोर
   निवासी ग्राम रातीबढ तहसील हुजूर
   जिला भोपाल म0प्र0

.......अनावेदकगण

म0प्र भू–राजस्व सहिंता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

आवेदक विद्वान आयुक्त महोदय भोपाल सभांग भोपाल द्वारा उनके प्रकरण क0 158/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 28/08/2015 से असन्तुष्ट एवं दुखी होकर यह निगरानी आदेश कि प्रतिलिपि प्राप्त होने से निर्धारित समयावधि में माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है ।

112

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 4023–PBR / 16 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29–12–2016	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आयुक्त के आदेश दिनांक 28–8–2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आयुक्त द्वारा अपने आदेश में स्पष्टतः निष्कर्ष निकालते हुए कि प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी अनावेदक कमांक 2 है, अतः उसके पक्ष में डुप्लीकेट ऋण पुस्तिका जारी करने में तहसीलदार द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी तहसीलदार के आदेश की पुष्टि करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में आयुक्त द्वारा पारित आदेश प्रथम दृष्टया विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की ज़ाती है। (मनोज गोयल) अध्यक्ष	